

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, एटा

पत्रांक :
सेवा में,

दिनांक :

जिलाधिकारी,
एटा।

विषय : उ०प्र० रोड साइट लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 की धारा-6 के अन्तर्गत जनपद एटा में मौजा नावली के गाटा संख्या-298स टूण्डला एटा मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-31) के कि०मी०-41 (चैनेज 40.516) में मार्ग के दांयी ओर पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ : जिलाधिकारी महोदय, एटा के पत्रांक 748/न्याय सहायक दिनांक 01.08.2015

महोदया,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि०, संजय पैलेस, आगरा को मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लो०नि०वि०, आगरा के पत्र संख्या-14687/116सी-आ०क्षे०/15 दिनांक 24.09.2015 के अनुपालन में सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक RW/NH-33023-19/99-DO-III दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.2003 में दी गयी गाइडलाइनों एवं शर्तों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें :-

1. मानचित्र मानक के अनुसार बने हैं।
2. प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।
3. आवेदन के विरुद्ध उक्त प्रस्तावित स्थल सम्बन्धी उ०प्र० रोड साइट लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट-1945 की धारा 13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में आवेदक का उत्तरदायित्व होगा।
4. प्रस्तावित निर्माण स्थल नगर पालिका की सीमा के बाहर है।
5. प्रस्तावित स्थल टूण्डला एटा मार्ग (राज्य मार्ग-31) के किमी०-41 (चैनेज-40.516 किमी०) के दांयी ओर पड़ता है।
6. प्रस्तावित निर्माण कृषि योग्य भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।
7. रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड के लिये 01 किमी० की दूरी पर सर्विस वेरियर नहीं है।
8. बफर स्ट्रिप 12.00मीटर लम्बाई एवं 03मीटर चौड़ाई तथा रिटेल आउटलेट पर वाहनों का प्रवेश एवं निकास कवर्स की चौड़ाई (सामने 12.00 मीटर है)।
9. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण आई०आर०सी० कोड संख्या-12-2009 के अनुसार किया जाये।
10. आवेदक को प्रस्तावित निर्माण मार्ग की मध्य रेखा से बफर स्ट्रिप 22.87 मीटर पम्प 32.07 मीटर, 39.07, 46.07 मीटर एवं भवन निर्माण 46.79 मीटर की दूरी पर नक्शे में प्रदर्शित है।
 - क. आवेदक को पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्च से मानचित्रानुसार ओपन ड्रेन (नाली) एवं दोनों ओर पुलिया एवं पहुंच मार्ग का निर्माण लो०नि०वि० की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा। 15 वर्षों के लिये लीजडीड एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र (एनेक्चर-3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है। एग्रीमेन्ट की फीस समक्ष अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त जमा करा ली जायेगी। प्रार्थी का लीजडीड एग्रीमेन्ट संलग्न है।
 - ख. आवेदक को यह सुनिश्चित कराना होगा, कि पेट्रोल पम्प लगाने के पूर्व व उपरान्त मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध न होने पाये।
 - ग. आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल एवं वर्षाती पानी का बहाव इस प्रकार कराना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा में रिटेल आउटलेट का पानी मार्ग पर नहीं आना चाहिए एवं नाली को बन्द नहीं किया जायेगा।
 - घ. फिलिंग स्टेशन की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.50 मी० नीचा रखा जायेगा।

11. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुंच मार्ग पर 1.00मीटर स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साइट खन्ती में 1.00 मीटर चौड़ाई का ड्रेन बनाकर ऊपर स्टील पाइप के कैटिल केचर बना दिया जाय ताकि रोड का पानी सुरक्षा एवं सुविधा पूर्वक रोड साइट ड्रेन से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में बह सके। किसी भी दशा में नाली/नाले को बन्द नहीं किया जायेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आने पाये।
12. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुंच मार्ग का ढाल लो0नि0वि0 मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0-13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।
13. बफर स्ट्रिप के पास हैजिज की ऊँचाई 60 सेमी0 से ऊपर न रखी जाये।
14. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण लो0नि0वि0 मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य से 22.87 मीटर की दूरी के कम पर कोई भवन निर्माण नहीं होना चाहिए।
15. प्रस्तावित स्थल के 100 मीटर दोनों ओर कोई रोड़ क्रोसिंग नहीं होनी चाहिए।
16. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
17. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाए इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
18. लो0नि0वि0 मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही उक्त कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिए किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक- आर0डब्ल्यू0/एन.एच. 33023-19/99-डी0ओ0तृतीय दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.2003 में दी गयी गाइडलाइनों का अनुपालन करना होगा।

संलग्न: सम्पूर्ण प्रकरण दो प्रतियों में।

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
एटा

पत्रांक : 3034 / 0C

दिनांक : 28-9-15

प्रतिलिपि:

1. सहायक अभियन्ता(प्रथम), प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, एटा को उनकी संस्तुति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।
2. अवर अभियन्ता(प्रा०), प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, एटा को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न सम्पूर्ण विवरण एक प्रति में।

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
एटा

28/9/15

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, एटा

पत्रांक :
सेवा में,

दिनांक :

जिलाधिकारी,
एटा।

विषय : उ०प्र० रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 की धारा-6 के अन्तर्गत जनपद एटा में मौजा नावली के गाटा संख्या-298स टूण्डला एटा मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-31) के कि०मी०-41 (चैनेज 40.516) में मार्ग के दांयी ओर पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ : जिलाधिकारी महोदय, एटा के पत्रांक 748/न्याय सहायक दिनांक 01.08.2015

महोदया,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि०, संजय पैलेस, आगरा को मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लो०नि०वि०, आगरा के पत्र संख्या-14687/116सी-आ०क्ष०/15 दिनांक 24.09.2015 के अनुपालन में सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक RW/NH-33023-19/99-DO-III दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.2003 में दी गयी गाइडलाइनों एवं शर्तों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें :-

1. मानचित्र मानक के अनुसार बने हैं।
2. प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।
3. आवेदन के विरुद्ध उक्त प्रस्तावित स्थल सम्बन्धी उ०प्र० रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट-1945 की धारा 13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में आवेदक का उत्तरदायित्व होगा।
4. प्रस्तावित निर्माण स्थल नगर पालिका की सीमा के बाहर है।
5. प्रस्तावित स्थल टूण्डला एटा मार्ग (राज्य मार्ग-31) के किमी०-41 (चैनेज-40.516 किमी०) के दांयी ओर पड़ता है।
6. प्रस्तावित निर्माण कृषि योग्य भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।
7. रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड के लिये 01 किमी० की दूरी पर सर्विस वेरियर नहीं है।
8. बफर स्ट्रिप 12.00मीटर लम्बाई एवं 03मीटर चौड़ाई तथा रिटेल आउटलेट पर वाहनों का प्रवेश एवं निकास कवर्स की चौड़ाई (सामने 12.00 मीटर है)।
9. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण आई०आर०सी० कोड संख्या-12-2009 के अनुसार किया जाये।
10. आवेदक को प्रस्तावित निर्माण मार्ग की मध्य रेखा से बफर स्ट्रिप 22.87 मीटर पम्प 32.07 मीटर, 39.07, 46.07 मीटर एवं भवन निर्माण 46.79 मीटर की दूरी पर नक्शे में प्रदर्शित है।
 - क. आवेदक को पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्च से मानचित्रानुसार ओपन ड्रेन (नाली) एवं दोनों ओर पुलिया एवं पहुंच मार्ग का निर्माण लो०नि०वि० की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा। 15 वर्षों के लिये लीजडीड एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र (एनेक्चर-3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है। एग्रीमेन्ट की फीस समक्ष अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त जमा करा ली जायेगी। प्रार्थी का लीजडीड एग्रीमेन्ट संलग्न है।
 - ख. आवेदक को यह सुनिश्चित कराना होगा, कि पेट्रोल पम्प लगाने के पूर्व व उपरान्त मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध न होने पाये।
 - ग. आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल एवं वर्षाती पानी का बहाव इस प्रकार कराना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा में रिटेल आउटलेट का पानी मार्ग पर नहीं आना चाहिए एवं नाली को बन्द नहीं किया जायेगा।
 - घ. फिलिंग स्टेशन की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.50 मी० नीचा रखा जायेगा।

11. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुंच मार्ग पर 1.00मीटर स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साइट खन्ती में 1.00 मीटर चौड़ाई का ड्रेन बनाकर ऊपर स्टील पाइप के कैटिल केचर बना दिया जाय ताकि रोड का पानी सुरक्षा एवं सुविधा पूर्वक रोड साइट ड्रेन से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में बह सके। किसी भी दशा में नाली/नाले को बन्द नहीं किया जायेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आने पाये।
12. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुंच मार्ग का ढाल लो0नि0वि0 मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0-13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।
13. बफर स्ट्रिप के पास हैजिज की ऊँचाई 60 सेमी0 से ऊपर न रखी जाये।
14. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण लो0नि0वि0 मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य से 22.87 मीटर की दूरी के कम पर कोई भवन निर्माण नहीं होना चाहिए।
15. प्रस्तावित स्थल के 100 मीटर दोनों ओर कोई रोड क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए।
16. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
17. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाए इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
18. लो0नि0वि0 मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही उक्त कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिए किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक- आर0डब्ल्यू0/एन.एच. 33023-19/99-डी0ओ0तृतीय दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.2003 में दी गयी गाइडलाइनों का अनुपालन करना होगा।

संलग्न: सम्पूर्ण प्रकरण दो प्रतियों में।

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
एटा

पत्रांक : 3034 / 0C

दिनांक : 28-9-15

प्रतिलिपि:

1. सहायक अभियन्ता(प्रथम), प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, एटा को उनकी संस्तुति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।
2. अवर अभियन्ता(प्रा०), प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, एटा को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न सम्पूर्ण विवरण संलग्न है।

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
एटा

28/9/15

Check List

(Enclosure to ministry of Road Transport & Highways Letter No. RW/NH-33023/19/99- DOLH dated 17.10.2003)

Check List for getting approval for installation of new Fuel Stations along National Highways.

- | | | |
|-------|---|---|
| 1. | General Information | - |
| 1.1 | National High way number | SH -31 |
| 1.2 | State | Uttar Pradesh |
| 1.3 | Location | Tundla Etah Road (Naawali)
Khasra No. 298 SA |
| 1.3.1 | (Change in Km.)
[Side of NII (Left or Right)
Side of SH Towards increasing
Chainage/Km direction | R.H.S.
Ch. 40.516 (km-41) |
| 1.4 | Name of High way Authority
(NHAI/ PWD/BRO) | P.W.D. |
| 1.5 | Executive Engineer
(or Equivalent) address | Executive. Engineer
Provincial Division, P.W.D., Etah |
| 1.6 | Name of oil Company
(as applicable) | Indian Oil Corporation Ltd. |
| 1.7 | Name and address of
owner of Fuel Station. | M/s Indian Oil Corporation Ltd.
65/2 Sanjay Palace, Agra |

M. S. Kumar
19.9.15
एम०के० वाकुर
सहायक अभियन्ता
प्राथमिक विभाग, एटा

W. S. Singh
15/10/15
अधिसूचना अभियन्ता
राज्यीय सड़क विभाग
एटा


2. Stipulated Norms for Fuel Outlets Tundla Etah Road (SH-31)
Km. 41 Chainage 40.516

Sl.No.	Item	Measurement at site	MORTH Norms	Where Complying with MORTH Norms
1	2	3	4	5
1	Distance from intersection 1.1 Non-Urban (Rural) Stretch 1.1.1 Plain and Rolling Terrain (i) Intersection with NHs/SHs/MDRs (ii) Intersection with Rural roads with Carriageway width of 3.5m of more. (iii) Intersection with Rural roads and other earth Links with carriageway width less than 3.5 M.	NO intersection exist with in 1000m No rural roads with carriageway width of 3.5m exist within 300m. NO Rural roads and other earth Links with carriageway width less than 100m.	1000m 300m 100m	Yes/no Yes/no Yes/no
	1.1.2 Hilly/ Mountainous Terrain (i) Intersection with NHs/SHs/MDRs (ii) Intersection with all other roads and tracks.	N.A N.A	300m 100m	Yes/no Yes/no
	1.2 Urban Stretches 1.2.1 Plain and Rolling terrain. (a) Urban Area with population of more than 20000 and less than one lakh. (i) Intersection with any category of roads of carriageway width of 3.5m and above. (ii) Intersection with roads of carriageway width of less than 3.5m (b) Urban Area with population of one lakh and above. (i) Intersection with any category of road (irrespective of carriageway width)	N.A. N.A. N.A.	300m 100m 100m	Yes/no Yes/no Yes/no
	1.2.2 Hilly and Mountainous Terrain. (i) Intersection with any category of road (irrespective of carriageway width)	N.A.	100m	Yes/no

M. K. Singh
19.9.15
एमके0 तंकर
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0जो0नि0वि0, एटा

Outlets Tundla Etah Road (SH-31) Km.-41 Chainge – 40.516

2	Is it a part of Rest Area complex ?	No		Yes/no
3	Distance from nearest Fuel Station			
	(a) Plain and rolling terrain in non-urban area. (i) Undivided carriageway. (ii) Divided carriageway. (b) Hilly terrain and urban stretches/	No Fuel Station within 300M. Not Applicable Not Applicable	Minimum 300m Minimum 1000m Minimum 300m	Yes/no Yes/no Yes/no
4	Distance from check barrier/Toll Plaza	NO check barrier available exist	Minimum 1000m	Yes/no
5	Provision of 7.0m/5.5m wide service/connecting road	NO	Necessary at clustering of fuel station	Yes/no
6	Gradient of Highway section.	2%	Maximum 5%	Yes/no
7	Slope of Fuel Station Premises/Services Area for drainage purpose	2%	Minimum 2%	Yes/no
8	Width of Frontage	36.00m.	Minimum 35m/20m	Yes/no
9	Length of Buffer Strip	12.00m.	Minimum 12m	Yes/no
10	Width of Buffer Strip extending Inside ROW	3.00m.	Minimum 3m	Yes/no
11	Is there only one structure of approved standard identification sign on pole with existing on buffer strip	Yes	No structure of hoarding, except approved standard identification sign of pole is allowed buffer strip	Yes/no
12	Height of kern for buffer strip	300mm	Minimum 275mm	Yes/no
13	Is the space from outer edge of buffer strip to the edge of road turned and raised with provision of 275 mm kerbs, with no other structure?	yes	No structure of hoarding of parking space is allowed in the space in front of buffer strip	Yes/no
14	Radius of turning curve	13m	Minimum 13m	Yes/no
15	Radius of Non-Turning curve	1.5m	Minimum 1.5m Minimum 3m	Yes/no


 एम०के० ठाकुर
 सहायक अभियन्ता

Outlets Tundla Etah Road (SH-31) Km.-41 Chainge – 40.516

16	Minimum downward slope of access roads towards the fuel station	2%	Minimum 2%	Yes/no
17	Difference in elevation from edge of road and edge of buffer strip	30cm	Minimum 15cm	Yes/no
18	Provision of Culvert designed for drainage according to I.R.C.S.P.-13	1m span Hume pipe culvert	Minimum 1m die (pipe culvert) Minimum 1m span (slab culvert)	Yes/no
19	Provision of proper drainage arrangement for fuel station premises	As per drawing	Drawing showing drainage arrangement as per satisfaction of highway authorities to be submitted	Yes/no
20	Provision of proper drainage signs and markings as per the drawing	As per drawing	Minimum requirement as shown in the Drawing	Yes/no

If norms are not satisfied, detailed explanation needs to be given, otherwise the application will not be considered. In all supporting documents as per Annex. I have to be submitted; otherwise the case will be summarily rejected.

[Signature]
19.9.15
एम०के० ठाकुर
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०लो०नि०वि०, एटा

[Signature]
19/9/15
अधिशानी अधिकारी
शान्तिनगर खण्ड लो. नि. वि.
एटा

[Signature]
21/9/15
(वी० डी० शर्मा)
अधीक्षक अभियन्ता
अलीगढ़ वृत्त लो० नि० वि०
अलीगढ़
21.9.15